नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2010 से 03/2013

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2010 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नगर पंचायत तलाई में निम्नलिखित प्रधान तथा सचिव तैनात थेः–

प्रधान

क्रम सं0	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती सरीती देवी	1.4.2010 से 26.1.2011
2	श्रीमती सरोज कुमारी	27.1.2011 से 31.3.2013

सचिव

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र पाल जसवाल तहसीलदार झण्डुता अतिरिक्त कार्य भार	1.4.10 से 26.7.2010
2	श्री संजय कुमार कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं	27.7.2010 से 20.06.11

	अतिरिक्त कार्यभार	
3	श्री ओम प्रकाश शर्मा, सचिव	21.6.2011 से 27.2.2013
4	श्री अशोक शर्मा सचिव	27.6.2013 से 31.3.2013

(ख) अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव के कारण अतिरिकत ब्याज की आय से वंचित होना	6	4.65
2	गृहकर की वसूली योग्य राशि	8 (क)	25.76
3	सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गृहकर की मांग न करने पर आर्थिक हानी	8 (ख़)	1.25
4	दुकानों के किरायेदारों से वसूली हेतु शेष राशि	9	0.34
5	कार पार्किंग के नीलामी की संविदाकार से कम वसूली	10 (क)	0.26
6	छड़ीदार/तहबाजारी नीलामी की कम वसूली	10 (ख)	0.20
7	कम्पोजटिंग पलाट निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	15	1.15
8	कार पार्किंग निर्माण कार्य में संविदाकार को संभावित अधिक भुगतान	16	0.49
9	कम्पोजटिंग पलाट आर0सी0सी0 वैरेले चैनल के निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भाावित अधिक भुगतान	17	0.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2010 से 03/2013 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.2.2013 से 16.5. 2013 तक के दौरान तलाई में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच पड़ताल हेतु माह 3/2011, 1/2012 व 9/2012 आय पक्ष के लिए व मास 4/2010, 4/2011 व 7/2012 का व्यय पक्ष के लिए चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत तलाई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर के अवधि 4/2010 से 3/2013 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क की ₹25800/–बनती है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 104 दिनांक 15.5.2013 द्वारा रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को शीध्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

(क) नगर पंचायत तलाई की अवधि 4/2010 से 3/2013 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्तियां**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2010–11					
स्वयं संसाधन	447559	2718466.44	3166025.44	2333674	832351.44
अनुदान	8379251	4619729	12998980	9925114	3073866.00
	8826810	7338195.44	16165005.44	12258788	3906217.44

2011–12

स्वयं संसाधन	832351.44	1500160	2332511.44	1684429	648082.44
अनुदान	3073866	15789872	18863738	5339895	13523843
	3906217.44	17290032	21196249.44	7024324	14171925.44

2012–13

स्वयं संसाधन	648082.44	2389387.00	3037469.44	2327399.00	710070.44
अनुदान	13523843.00	19128235.00	32652078.00	5638866.00	27013212.00
	14171925.44	21517622.00	35689547.44	7966265.00	27723282.44
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/96 से 3/2005 की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तर की राशि				+ 2364.00
	31.3.2013 को रोकड़ वही के अनुसार शेष				27725646.44

नोटः–

एस0जे0एस0आर0वाई0 रोकड वही से सम्बन्धित राशियों को भी वित्तीय स्थिति में शामिल किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में एक ही रोकड़ वही का निर्माण किया

(ग) बैंक समाधान विवरणः–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष — 27725646.44

(जमा) चैक जो जारी किये ये परन्तु 31.3.2013 तक भुनाये नहीं गये

चैक सं0	दिनांक	राशि	
391154	30.3.13	3075	
391155	30.3.13	4794	
391156	30.3.13	1987	
005931	30.3.13	7000	
		16856	16856
			27742502.44

(–) दिनांक 31.3.2013 को हस्तगत शेष — 88647.00

दिनांक 31.3.13 को बैंक खातों में जमा राशि 27653855.44

31.3.2013 को बैंक खातें में जमा राशि का विवरण

क्र0सं0	**बैंक खाता सं0**	**राशि**
1	11513219796	12009.35
2	11513219677	4728.28
3	11513219768	862374.81
4	11710104001	449444.00
5	11710104023	761467.00
6	11710104003	50276.00
सावधि जमा खातों में जमा राशि		
1	सावधि जमा संख्या 32579346465	15000000
2	सावधि जमा संख्या 855239	4000000
3	सावधि जमा संख्या 944576	6513556
	कुल राशि	**27653855.44**

(घ) पैन्शन एवं उपदान निधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति':-

नगर पंचायत के कर्मचारियों से सम्बन्धित पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। पैन्शन निधि में 1.4.2010 को ₹959681/- प्रारम्भिक शेष था अवधि 1.4.2010 से 31.3.2010 के दौरान ₹631188/-की प्राप्तियां की गई तथा दिनांक 31.3.2013 के दौरान ₹1590859/-अन्तशेष था यह राशि राज्य सहकारी बैंक में बचत खाते में जमा है। इसी प्रकार उपदान निधि में दिनांक 1.4.2010 को ₹394175/-प्रारम्भिक शेष था अवधि 1.4.2010 से 31.3.2013 के दौरान ₹262297/-जमा हुए तथा दिनांक 31.3.2013 को ₹656472/-अन्तशेष था यह राशि राज्य सहकारी बैंक बचत खाते मे ंजमा थी।

5 सावधि निवेश :–

दिनांक 31.3.2013 तक ₹25513556.00 का निवेश सावधि जमा योजना के रूप में किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	निवेश की तिथि	सावधि जमा सं0	बैंक का नाम	निवेशित राशि	ब्याज दर
1	12.9.2012	32579346465	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया तलाई	15000000	8.50
2	6.10.2012	835239	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित तलाई	4000000	7.50
3	26.1.2013	944576	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित तलाई	6513556	7.50
			कुल राशि	**25513556**	

सावधि जमा में निवेश की गई उपरोक्त राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना एवं पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण लगभग ₹465000/– अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना:–

(क) रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि माह 1/2012 से 9/2012 के दौरान बैंक बचत खातों में लगभग ₹60 लाख से ₹85 लाख जमा थे यदि इस राशि में से ₹60 लाख यदि सावधि जमा खाते में निवेश की जाये तो 5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से ₹25000/–प्रतिमाह तथा 9 माह में ₹225000/–अधिक ब्याज की आय अर्जित की जा सकती थी। अंकेक्षण का सुझाव है कि नगर पंचायत लेखों में पड़ी अनुपयुक्त राशियों (जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है) को सावधि लेखा में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) पैन्शन एवं उपदान निधि बचत खातों में दिनांक 1.4.2010 को ₹1353856/–दिनांक 1.4. 2011 ₹1588127/–व दिनांक 1.4.2012 को ₹2016934/–जमा था। इन राशियों को यदि

सावधि जमा खातों में निवेश किया जाता तो 5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से लगभग प्रतिमाह ₹6670/–तथा 36 माह में ₹240000/–ब्याज के रूप में आय अर्जित की जा सकती थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 (2) में सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों की सेवानिवृति की दिनांक को ध्यान में रखते हुये बचत खातों में जमा राशियों को सावधि जमा खातों में निवेश किया जाये लेकिन नगर पंचायत द्वारा उचित कार्रवाई न किये जाने के कारण ₹240000/–की आय से वंचित होना पड़ा। यह मामला नगर पंचायत के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

7 सरकारी अनुदान :–

नगर पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2010 से 31.3.2013 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किये गये व्यय व 31.3.2013 को पाये गये अन्त शेष तथा पूर्व की अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ग 1" "ग–2" "ग–3"** पर विस्तार से दिया गया है। वर्ष 2010–11 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष राशि ₹8379251/– में से ₹7876639/– वर्ष 2010–11 व ₹502612/–वर्ष 2011–12 के दौरान व्यय कर दी गई थी। अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न स्त्रोतो से ₹39537836/–अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से इस अवधि में पूर्व अवधि की शेष राशि ₹8379251/–के अतिरिक्त ₹12524624/– व्यय की गई तथा ₹27013212/–अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियॉ सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा शेष राशियों को अविलम्ब नियमानुसार समयवध व्यय किये जाने बारे ठोस पग उठाये जाये अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग/सरकार को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

8 (क) ₹2576218/–गृह कर की वसूली योग्य शेष राशिः–

गृह कर के ₹2576218.00 दिनांक 31.3.2013 को वसूली योग्य शेष राशि थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वार्ड सं0	31.3.2013 को बकाया राशि
1	वार्ड नं0 1	7342
2	वार्ड नं0 2	2881
3	वार्ड नं0 3	508638

4	वार्ड नं0 4	868717
5	वार्ड नं0 5	258823
6	वार्ड नं0 6	856389
7	वार्ड नं0 7	73428
	जोड़	**2576218**

नगर पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86 (2) के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई जोकि चिन्ता का विषय है गृह कर की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वसूली योग्य शेष राशि ₹2576218.00 की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ख) गृह कर की सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मांग न करने के कारण ₹125086/–की वित्तीय हानिः–

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी)(10)–7/78–II दिनांक 17.11.03 के अनुसार वर्ष 2010–11 में गृह कर की मांग 12.50**%** की दर से की जानी थी। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010–11 में 9.50 प्रतिशत की दर से गृह कर की मांग की गई थी। जिसके कारण निम्न विवरणानुसार ₹125086/–की कम मांग की गई थी।

वर्ष	**जिस दर पर मांग की गई**	**मांग की गई राशि ₹**	**जिस दर पर मांग की जानी थी**	**जितनी भाग की जानी थी ₹**	**अन्तर की राशि ₹**
2010–11	9.50 प्रतिशत	396107	12.50 प्रतिशत	521193	125086

उपरोक्त विवरणानुसार सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मांग न किये जाने के कारण नगर पंचायत को ₹125086/–की हानी उठानी पड़ी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गृह कर की मांग न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम की गई मांग की वसूली सुनिश्चित की जाये।

9 दुकानों के किराये की ₹34237.00 की वसूली योग्य शेष राशिः—

दुकानों के किरायेदारों से दिनांक 31.3.2013 को ₹34237.00 की राशि वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	किरायेदार का नाम	31.3.2013 को वसूली योग्य शेष राशि
1	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड उप—मण्डल तलाई	3360
2	रिजनल मैनेजर एच0पी0एम0सी0 कांगड़ा	14850
3	श्री बीरबल सिंह स्पुत्र श्री सीता राम गांव घरवासरा डा0 कोसरियां	5636
4	श्री सलीम मोहमद स्पुत्र श्री चूपूदीन गांव टामवारी डा0 दसलेरा	10391
	कुल राशि	**34237**

किराये के मांग व वसूली रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010—11 के अन्त में ₹15587.00 वर्ष 2011—12 के अन्त में ₹23887/—व वर्ष 2012—13 के अन्त में ₹34237/—की राशियां किरायेदारों से वसूली योग्य शेष थी। किराये की वर्ष के अन्त में वसूली योग्य राशियों में प्रति वर्ष बढ़ौतरी हो रही है ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किराये की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किया जाए।

10 (क) ₹26000/—की कम वसूलीः—

श्री बाला बालक नाथ जी मेला 2012 के दौरान गरूणा भवाड़ी में पार्किंग के लिए निविदा आमन्त्रित करके दिनांक 13.3.2012 को नीलामी की गई थी। उच्चतम बोली दाता श्री तरसेम चन्द स्पुत्र श्री निक्का राम को ₹61000/—में ठेका दिया गया था। श्री तरसेम चन्द द्वारा उपरोक्त ठेके के विरूद्ध निम्न विवरणानुसार ₹35000/—ही जमा किये गये थे।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	2/13	3.3.2013	15000
2	4/13	3.3.2013	20000
			35000

अतः ₹26000/– (₹61000–₹35000) कम जमा किये गये थे। कम वसूली करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त राशि की उचित माध्यम से वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) ₹20000/–की कम वसूलीः–

श्री बाबा बालक नाथ जी मेले 2012 के लिए दिनांक 13.3.2012 से 30.6.2012 तक छड़ीहार (तहबाजारी) की नीलामी दिनांक 3.3.2012 को की गई। जिसका ठेका उच्चतम बोली दाता श्री तरसेम चन्द स्पुत्र श्री निक्का राम निवासी कनफारा तहसील नैनादेवी जिला बिलासपुर को ₹135000/–में दिया गया। श्री तरसेम चन्द द्वारा ठेके की राशि के विरूद्ध ₹115000/–निम्न विवरणानुसार जमा किये गये थे।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	1/13	3.3.2012	15000
2	3/13	3.3.2012	100000
		कुल जमा राशि	**115000**

अर्थात ₹20000/– (₹135000–₹115000) कम जमा किये गये थे। जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त राशि की अब वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग्र को अवगत करवाया जाये।

11 (क) रैहन बसेरा की आय ₹4700/–की वसूली न करनाः–

रैहन बसेरा रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि बाबा बालक नाथ मेलों के दौरान मन्दिर ट्रस्ट बाबा बालक नाथ शाहतलाई के अधिकारियों का ठहराव रैहन बसेरा में दिखाया गया था लेकिन इन अधिकारियों से निम्न विवरणानुसार ₹4700/–की वसूली नहीं की गई थी। रैहन बसेरा में ठहराव करने पर किराये की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वांन्छित राशि की अब वसूली करके इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	रैहन बसेरा में ठहरने वाले अधिकारी का नाम/पद	ठहरने की अवधि	वसूली योग्य राशि
1	अध्यक्ष मन्दिर ट्रस्ट बाबा बालक नाथ शहतलाई	13.3.2011 से 13.4.2011 32 दिन	1600
2	डा0 राहुल कोण्डल चिकित्सा अधिकारी मेला ड्यूटी	14.3.13 से 13.3.13	1550
3	नायब तहसीलदार घुमारवीं मेला ड्यूटी	14.3.13 से 13.3.13	1550
		कुल राशि	**4700**

(ख) रैहन बसेरा रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि कुछ मामलों में रैहन बसेरा में ठहरने वाले व्यक्ति का नाम पता नहीं लिखा गया था जबकि नियमानुसार रैहन बसेरा में ठहरने वाले व्यक्ति का नाम, पद व पता अनिवार्य होता है जिसके आधार पर ठहरने के किराये की वसूली की जानी वांन्छित होती है। अतः रैहन बसेरा में ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम पद व पूर्ण पता न लिखने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से सभी ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम पद, व पूरा पता रैहन बसेरा रजिस्टर में लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 ₹3200.00 का अधिक भुगतानः–

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–एच(7)–19/97–II–10199–10246 दिनांक 15.9.2007 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत को मोबाइल फोन का उपयोग करने पर ₹400/–(B1-monthly) दो मास के लिए प्रतिपूर्ति की जानी थी तथा भुगतान निदेशक यू0एल0वी0 के अनुमोदन के पश्चात किया जाना था। लेखा परीखा के दौरान दूरभाष रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि श्री ओम प्रकाश सचिव नगर पंचायत तलाई को माह 6/2011 से 9/2012 के लिए ₹400/– प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया था जबकि ₹400/–दो माह के लिए भुगतान किया जाना था। ₹400/– दो माह के स्थान पर ₹400/–प्रति माह भुगतान किये जाने के कारण श्री ओमप्रकाश सचिव नगर पंचायत तलाई को ₹200/– प्रतिमाह की दर से माह 6/2011 से 9/2012 तक 16 माह के लिए ₹3200/–का

अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 ₹1085.00 का अधिक भुगतानः—

वाऊचर संख्या 2 दिनांक 2.4.2011 द्वारा श्री विनोद कुमार लिपिक को संशोधित वेतनमानों की बकाया राशि के 40 प्रतिशत भाग ₹2177/—का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया था जिसमें पूर्व में भुगतान की गई राशि ₹1092/—भी शामिल थी जिसके फलस्वरूप कुल बकाया राशि ₹1085/—की अधिक भुगतान किया गया।

अवधि	**मंहगाई भत्ते की 1.1.09 से 31.8.2009 तक वास्तव में भुगतान की गई राशि**	**बकाया राशि की गणना करते समय मंहगाई भत्ते की दर्शाई गई भुगतान की गई राशि**	**बकाया राशि का अधिक गणना**
1.7.2009 से 10.7.2009	350	176	174
11.7.2009 से 31.7.2009	735	370	365
1.8.2009 से 31.8.2009	1092	546	546
	2177	**1092.00**	**1085**

14 ₹5804.00 का अनुचित भुगतानः—

वाऊचर संख्या 4 दिनांक 2.7.2012 द्वारा ₹14122/—का भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावे के रूप में किया गया था। इस भुगतान राशि में श्री ओमप्रकाश शर्मा सचिव नगर पंचायत तलाई का माह 5/2010 से 6/2012 तक के ₹5804.00 का भुगतान भी शामिल था। श्री ओम प्रकाश शर्मा के उपरोक्त यात्रा भत्ता दावों से सम्बन्धित यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे। यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अनाधिकृत रूप से की गई यात्रा बारे औचित्य स्प्ष्ट किया जाये। सम्बन्धित यात्रा कार्यक्रमों को अब अनुमोदित करवाकर व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹5804/— के किये गये अनुचित भुगतान की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाये।

15 **कार्य का नामः—** कमपोजटिंग पलाट का निर्माण कार्य करना

उप—कार्य 17 नं0 वैटरीज सैल फैवरीकेशन से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना

संविदाकार का नामः—श्री अनिल कुमार (स्पैशल पावर अर्टानी श्री हरीश कुमार)

अनुबन्ध संख्याः— 530 दिनांक 24.11.09

अनुबन्ध राशिः— ₹3645750/—

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 8 से 20 तथा द्वितीय चलित बिल का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 64 से 74 पर किया गया था। भुगतान की जांच करने पर ₹115217/—के सम्भावित अधिक भुगतान के मामले एवं अन्य अनियमितताये पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

(क) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 1/ई0आई0 द्वारा वर्णित कार्य एकसकावेशन इन अर्थ वर्क इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 1704.08 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 18 पर ₹130/—प्रतिघन मी0 की दर से ₹221530.00 का भुगतान किया गया था इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन संख्या 6 पृष्ठ 8 व 9 पर की गई थी। रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका में आर0डी0 0 से आर0डी0 97 तक दर्शाये गये क्रास सैकशन के अनुसार 1330.88 घन मी0 कार्य मात्रा कटिंग इन अर्थ वर्क के कार्य से सम्बन्धित थी तथा शेष ₹373.20 घन मी0 कार्य एकसवेशन इन ड्रेन इत्यादि से सम्बन्धित था। उपरोक्त 1704.08 घन मी0 कार्य मात्रा का भुगतान कार्य की ओवर आर प्रतिशतता के आधार पर दर का निर्धारण करके ₹130/—प्रति घन मी0 की दर से भुगतान किया गया था पलाट को लेबल करने के लिए कटिंग इन अर्थ वर्क इत्यादि से सम्बन्धित मद अनुबन्ध में नहीं थी। कटिंग से सम्बन्धित किये गये कार्य की दर का निर्धारण अनुबन्ध की मद संख्या (1) जो एकसकावेशन इन फाऊडेशन टैचिज इत्यादि से सम्बन्धित तथा कटिंग के कार्य से सम्बन्धित सामान मद थी के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाना था।

अनुबन्ध की मद के कार्य का विवरण/मद सं0	एच0पी0एल0आर0 1999 के अनुसार पर प्रति घन मी0	कार्य मात्रा घन मी0	अनुमानित राशि	संविदाकार दर ₹	राशि ₹
एकसकावेशन इन फाउडेशन ट्रेचिज					
(ए) पिंक वर्क	59.70	47.94	2862	120	5752
(बी) जम्पर वर्क	126.00	49.98	6297	130	6497
(सी) पिंक+जम्पर वर्क	111.90	18.48	2068	130	2402
			11227		14651
	कार्य की प्रतिशतता	14650–11227/11227X100			30.49%

कटिंग इन अर्थ वर्क इत्यादि से सम्बन्धित कार्य की दर का निर्धारण हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1999 के अनुसार कटिंग इन अर्थ वर्क से मद की दर

पिंक वर्क	34.20
जम्पर वर्क	70.10
	104.30÷2=52.15 प्रति घन मी0
+ 30.49% अनुबन्ध में समान कार्य की प्रतिशतता	+ 15.90
कार्य की दर	₹68.05 प्रति घन मी0

इसके अतिरिक्त एकसावेशन इन फाऊडेशन से सम्बन्धित किये गये कार्य की दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची के अनुसार एकसकावेशन इन ड्रेन इत्यादि से सम्बन्धित कार्य की दर

पिंक वर्क	39.90
जम्पर वर्क	83.80
	123.70÷2=61.85
+ 30.49**%** अनुबन्ध में समान मद की प्रतिशतता	+ 18.86
	₹80.71 प्रति घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 1704.08 घन मी0 कार्य मात्रा जो कटिंग/एकसावेशन इन अर्थ वर्क से सम्बन्धित का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना था।

कार्य का विवरण	**कार्य मात्रा घन मी0**	**दर**	**राशि**
कटिंग इन अर्थ वर्क पिंक+जम्पर वर्क	1330.88	68.05	90566
एकसकावेशन इन अर्थ वर्क पिंक+जम्पर वर्क	373.20	80.71	30121
		कुल राशि	**120687**

उपरोक्त मामले में संविदाकार को ₹120687/–के स्थान पर ₹221530/–का भुगतान किये जाने के कारण ₹100843/–का भुगतान किये जाने के कारण ₹100843/–का भुगतान किये जाने के कारण ₹100843.00 (₹221530–₹120687) का अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित करें।

(ख) दूसरे चलित बिल की मद संख्या 6/एस0आई0 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग माईलड/टोर स्टील रीइन्फीलमैन्ट इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 6195.90 कि0ग्रा0 का भुगतान ₹48.98 प्रति कि0ग्रा0 की दर से मापन पुस्तिका सं0 6 पृष्ठ 72, 73 पर किया गया था। दर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दर का निर्धारण अनुबन्ध की मद संख्या 12 (स्टील वर्क वैलडिड इन बिलट अप सैक्शन ट्रासिज एण्ड फ्रेम वर्क इत्यादि) की दर से तुलना करके किया गया था जबकि यह मद हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसची 1999 के अन्य चैपटर से सम्बन्धित थी प्रोवाईडिंग टौर/माईलड स्टील के चैप्टर से सम्बन्धित नहीं थी। अतः दर का

निर्धारण इस मद से तुलना करके नहीं किया जाना था बल्कि अनुबन्ध की ओवरआल प्रतिशतता के आधार पर निम्न विवरणानुसार दर का निर्धारण किया जाना थाः–

हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 1999 के अनुसार प्रोवाईडिंग माईलड / टौर स्टील रीइनफोर्समैन्ट इत्यादि से सम्बन्धित दर	₹20.70 प्रति कि0ग्रा0
+ अनुबन्ध की ओवरआल प्रतिशतता 125.39 प्रतिशत	25.96
	₹46.66 प्रति कि0ग्रा0

उपरोक्त मामले में संविदाकार को 6195.90कि0ग्रा0 कार्य मात्रा के लिए ₹2.32 (₹48.98–₹46.66) प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹14374.00 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक किए गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ग) उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित टैण्डरों के तुलनात्मक विवरण की जांच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण अनुबन्ध राशि ₹365029.00 के स्थान पर ₹3645750.00 दर्शाई गई थी जिसके कार्य का आंबटन करते समय कार्य की ओवरआल प्रतिशतता 126.09 प्रतिशत के स्थान पर 125.39 प्रतिशत दर्शाई गई थी। टैण्डर से सम्बन्धित अभिलेखों की कार्य आंबटन से पहले उचित प्रकार जांच न करना एवं गलत राशि के लिए कार्य का आंबटन करना एक गम्भीर मामला है। अतः भविष्य में अभिलेखों की उचित जांच पड़ताल एवं अवलोकन के उपरान्त कार्य का आंबटन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 **कार्य का नामः–** गरूणा भनाड़ी वार्ड नं0 4 के नजदीक कार पार्किंग का निर्माण कार्य करना

संविदाकारः– श्री राज कुमार कौण्डल

अनुबन्ध संख्याः– एन0पी0 / वर्कस / 99–552 दिनांक 23.11.09

उपरोक्त कार्य के तीसरे व अन्तिम बिल का भुगतान वाऊचर संख्या 18 दिनांक 23.7.2012 द्वारा ₹1682978.00 के लिए किया गया था। भुगतान की जांच करने पर ₹49444 / –का सम्भावित अधिक भुगतान एवं अन्य निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

(क) कार्य के प्रथम चलत बिल की मद संख्या 3 / 4 द्वारा वर्णित कार्य फोर्म वर्क विद स्टील प्लेट इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 785.28 वर्ग मी0 का भुगतान ₹150

प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 6 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां एम0बी0 6 पृष्ठ 3 पर की गई थी में आर0डी0 139.09 से 163.77 तक की रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की गई थी।

आर0डी0 139–09 से 150–17	1x2x11.10x3.00	66.60 वर्ग मी0
आर0डी0 150.17 से 163.77	1x2x13.60x3.00	81.60 वर्ग मी0
		148.20 वर्ग मी0

उपरोक्त आर0डी0 में सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित कार्य 15 प्रतिशत पलम कंक्रीट के साथ किये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की गई थी।

आर0डी0 139–09 से 150–17	1x11.08x.50+0.55/2x2.90	32.93 घन मी0
आर0डी0 150.17 से 163.77	1x13.60x1.60+0.50/2x2.90	41.41 घन मी0
		74.34 घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित कार्य 2.90 मी0. ऊँचाई तक किया गया था जबकि फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य 3.00 मी0 ऊंचाई तक किया गया था। सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित किये गये कार्य के अनुसार फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

आर0डी0 139.09 से 150.17	1x2x11.08x2.90	64.26 वर्ग मी0
आर0डी0 150.17 से 163.77	1x2x13.60x2.90	78.88 वर्ग मी0
		143.14 वर्ग मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को ₹143.14 वर्ग मी0 के स्थान पर ₹148.20 वर्ग मी0 का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप 5.06 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹150/–प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹759 का भुगतान किया गया था।

(ख) दूसरे चलित बिल की मद संख्या 5/2 द्वारा वर्णित कार्य सी0सी0 1:5:10 विद पलम कंक्रीट 15 प्रतिशत इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 381.58+66.25 घन मी0 का भुगतान ₹1750 प्रति घन मी0 की दर से माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 40 पर किया गया था कार्य की 66.25 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 35 की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि बैंक साईड में किये गये कार्य की गणना निम्न प्रकार से की गई थी।

बैंक साईड 1x1x11.05x1.50+0.60/2x3.35=38.86 घन मी0

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित फोर्म वर्क की कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की गई थी।

बैंक साईड 2x11.05x3.00=66.30 वर्ग मी0

उपरोक्त अनुसार फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य 3 मी0 ऊंचाई तक किया गया था जबकि सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित कार्य 3.35 मी0 ऊंचाई तक किया दर्शाया गया था जो सम्भव नहीं था। अतः फार्म वर्क से सम्बन्धित किये गये कार्य के अनुसार सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित किये गये कार्य की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

बैंक साईड 1x1x11.05x1.50+0.60/2x3.00=34.80 घन

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 34.80 घन मी0 कार्य मात्रा के स्थान पर 38.86 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए भुगतान किये जाने पर 4.06 घन मी0 (38.86 घन मी0–34.80 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹1750 प्रति घन भी की दर से राशि ₹7150/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ग) दूसरे चलित बिल की मद संख्या 5/2 द्वारा वर्णित कार्य सी0सी0 1:5:10 पलम कंक्रीट 15 प्रतिशत के साथ से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 381.58+66.25 घन मी0 का भुगतान ₹1750 प्रति घन मी0 की दर से एम0वी0 6 पृष्ठ 40 पर किया गया था। उपरोक्त 66.25 घन मी0 कार्य मात्रा में आर0डी0 75.87 से 120.97 मीटर में पूर्व में किये गये कार्य के उपर 0.45 मीटर ऊंचाई में किये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की गई थी।

आर0डी0 75.87 से 85.37	1x9.50x0.90.+0.55/2x0.45	3.10 घन मी0
आर0डी0 85.37 से 100.37	1x15x0.90.+0.55/2x0.45	4.89 घन मी0
आर0डी0 100.37 से 115.37	1x15x0.90.+0.55/2x0.45	4.89 घन मी0
आर0डी0 115.37 से 120.97	1x5.60x0.90.+0.55/2x0.45	1.82 घन मी0
		14.70 घन मी

मापन पुस्तिका में फार्म वर्क से सम्बन्धित भुगतान की गई कार्य मात्रा का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के लिए कोई फोर्म वर्क नहीं किया गया था। फोर्म वर्क के बिना उपरोक्त 15 प्रतिशत पलम कंक्रीट के साथ सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित कार्य नहीं किया जा सकता था। फार्म वर्क के बिना सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित भुगतान दर्शाई गई कार्य

मात्रा 14.70 घन मी0 का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा भुगतान दर्शाई गई कार्य मात्रा 14.70 घन मी0 की ₹1750.00 प्रति घन मी0 की दर ₹25725.00 की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(घ) तीसरे व अन्तिम बिल की मद संख्या 3/3 द्वारा वर्णित कार्य सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 758.46 घन मी0 का भुगतान ₹1700 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ 18 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था।

एम0बी0 6 पृष्ठ 3	78.00 घन मी0
एम0बी0 6 पृष्ठ 38	266.86 घन मी0
एम0बी0 8 पृष्ठ 16	413.60 घन मी0
	758.46 घन मी0

उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 413.60 घन मी0 कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ 16 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 404.30 घन मी0 के स्थान पर 413.60 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 9.30 घन मी0 (413.60 घन मी0–404.30घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹1700 प्रति घन मी0 की दर से ₹15810.00 का अधिक भुगतान किया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की राशि वसूली सुनिश्चित की जाये।

17 **कार्य का नामः–** कम्पोजटिंग पलाट का निर्माण कार्य (एस0एच0आर0सी0सी0 वैरेल चैनल का निर्माण कार्य)

संविदाकार :– श्री मनिदर सिंह

अनबन्ध संख्याः– 526 दिनांक 23.11.09

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल का भुगतान वाऊचर संख्या 5 माह 4/2010 द्वारा ₹267277/–के लिए मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 21 से 25 पर किया गया था भुगतान की जॉच करने ₹25066/–के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 3 द्वारा वर्णित कार्य फोर्म वर्क इत्यादि से सम्बन्धित किये कार्य की कुल मात्रा 205 वर्ग मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 24 पर

₹150/–प्रति वर्ग मी0 की दर से किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 22 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

चैम्बर इन साईड	4x6x4.10	98.40 वर्ग मी0
चैम्बर आऊटर साईड	4x6.50x4.10	106.60 वर्ग मी0
		205.00 वर्ग मी0

उपरोक्त कार्य में एकसकावेशन से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 21 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

1x6.00x6.00x3.00 108.00 घन मी0

तथा सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित किये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 21 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

1x6.00x6.00x0.30 10.80 घन मी0

उपरोक्त एकसकावेशन एवं सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित किये गये कार्य के अनुसार फोर्म वर्क का कार्य 15 सी0सी0 खसका छोडकर निम्न प्रकार से किया जाना था।

चैम्बर इन साईड	4x5.40x4.10	88.56 वर्ग मी0
चैम्बर आऊटर साईड	4x5.85x4.10	95.94 वर्ग मी0
		184.50 वर्ग मी0

उपरोक्त मामले में संविदाकार को 184.50 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के स्थान पर 205.00 वर्ग मी0 कार्य मात्रा का भुगतान किये जाने के कारण 20.50 वर्ग मी0 (205.00 वर्ग मी0 –184.50 वर्ग मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹150 प्रति वर्ग भी की दर से ₹3075.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ख) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 4 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग टौर/माईलड स्टील आर0सी0सी0 वाल इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 1895.44 कि0 ग्रा0 का भुगतान ₹46 प्रति किलो ग्राम की दर से माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 24 पर किया गया था। जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 22 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

स्टील 10 एन0एम0

वर्टीकल वार 1x4x40x4.10+.45 728 मी0

वर्टीकल वार 1x4x44x4.10+0.45	800.80 मी0
हौरीजैन्टल इन साईड 1x4x28x6.00	672 मी0
हौरीजैन्टल आऊट साईड 1x4x28x6.35	711.20 मी0
	2912 मी0
2912 मी0x0.62	1805.44 कि0ग्रा0
वैस्टेज 5 प्रतिशत	90.00 कि0ग्रा0
कुल मात्रा	**1895.44 कि0ग्रा0**

उपरोक्त कार्य में एकसकावेशन एवं सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित किये गये कार्य के आधार पर प्रोवाईडिंग टौर/माईलड स्टील इत्यादि से सम्बन्धित कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि निम्न प्रकार से की जानी थी।

स्टील 10 एम0एम0

वर्टीकल वार इन साईड वाल	1x4x40x4.10+0.45	728 मी0
वर्टीकल वार आऊटरसाईड वाल	1x4x44x4.10+0.45	800.80 मी0
हौरीजैन्टल वार इन साईड वाल	1x4x28x5.40	604.80 मी0
हौरीजैन्टल वार आऊट साईड वाल	1x4x28x5.85	655.20 मी0
		2788.80 मी0

2788.80 मी0x0.62 कि0ग्रा0 प्रति मी0=1729.05 मी0

उपरोक्त कार्य में 90 कि0ग्राम वेस्टेज दर्शाकर भुगतान किया गया था जबकि न तो अनुबन्ध में वेस्टेज का कोई प्रावधान था न ही वेस्टेज के विरूद्ध स्क्रेप प्राप्ति दर्शाई गई थी। अतः संविदाकार को वेस्टेज के लिए भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 1729.05 किलोग्राम कार्य मात्रा का भुगतान किये जाने के कारण 166.39 कि0ग्रा0 कार्य मात्रा के लिए ₹46.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹7654.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किए व गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ग) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 5 द्वारा वर्णित कार्य आर0सी0सी0 1:2:4 से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 43.71 घन मी0 का भुगतान ₹2700/—प्रति घन मी0 की दर से मापन

पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 25 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 23 पर निम्न प्रकार से की गई थी

चैम्बर लौंग वाल	2x6.50x0.45+0.28/2x4.20	19.92 घन मी0
चैम्बर स्माल वाल	2x6.00x0.45+0.28/2x4.20	1839 घन मी0
फलोर	1x6x6x0.15	5.40 घन मी0
		43.71 घन मी0

उपरोक्त कार्य में फार्मे वर्क से सम्बन्धित कार्य उपरोक्त पैरा (क) के अनुसार 4.10 मी0 ऊंचाई तक किया गया था जबकि आर0सी0सी0 1:2:4 से सम्बन्धित कार्य 4.20 मी0 ऊंचाई तक किया गया दर्शाया गया था जो सम्भव नहीं था इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित एकसकावेशन एव सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित किये गये कार्य के आधार पर आर0सी0सी0 1+2+4 से सम्बन्धित किये गये कार्य की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

चैम्बर लौंग वाल	2x5.85x0.45+0.28/2x4.10	17.50 घन मी0
चैम्बर स्माल वाल	2x5.40x0.45+0.28/2x4.10	16.16 घन मी0
फलोर	5.85x5.40x0.15	4.74 घन मी0
		38.40 घन मी0

उपरोक्त मामले में संविदाकार को 38.40 घन मी0 कार्य मात्रा के स्थान पर 43.71 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए भुगतान किये जाने के कारण 5.31 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹2700 प्रति घन मी0 की दर से ₹14337.00 का अधिक भुगतान किया प्रतीत होता है। स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की राशि सुनिश्चित की जाये।

18 **संविदाकारः—** श्री अशोक कुमार (स्पैशल पावर ऑफ आटार्नी श्री पंकज कुमार)

अनुबन्ध संख्याः— 524 दिनांक 23.11.2009

कार्य का नामः— कूड़ा सयन्त्र के लिए रोड़, ड्रेन वाऊंडरी वाल और पलेटफार्म का निर्माण करना

ए0एच0 वाउडरी वाल का निर्माण कार्य करना।

वाऊचर संख्या 4 माह 4/2010 ₹941964/—

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल का भुगतान श्री अशोक कुमार को उपरोक्त वाऊचर द्वारा किया गया था भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

(क) उपरोक्त कार्य की मद संख्या 4 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 118.10 घन मी0 का भुगतान ₹2100 प्रति घन मी0 की दर से माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 28, 29 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल आर0डी0 संख्या 25 से 35.10 तक किये गये कार्य की मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की गई थी:–

आर डी 25 से 30	5x1.50+1.00/2x2.90	18.12 घन मी0
आर डी 30 से 35.10	5.10x1.50+1.00/2x2.90	18.48 घन मी0
		36.60 घन मी0

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित किये गये फोर्म वर्क की गणना निम्न प्रकार से की गई थी

आर डी 25 से 30 तक	2x5x2.80	27.00 वर्ग मी0
आर डी 30 से 35.10	2x5.10x2.80	28.56 वर्ग मी0

उपरोक्त फार्मे वर्क से सम्बन्धित की गई रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार आर0डी0 25 से 35.10 में सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की जानी थी।

आर डी 25 से 30	5x1.50+1.00/2x2.80	17.50 घन मी0
आर डी 30 से 35.10	5.10x1.50+1.00/2x2.80	17.85 घन मी0
		35.35 घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य 2.80 मी0 ऊंचाई तक किया गया था तथा सी0सी0 1:5:10 से सम्बन्धित कार्य 2.90 मी0 ऊंचाई में किया दर्शाया ग्रया था जो कि उचित नहीं था। उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 35.35 घन मी0 के स्थान पर 36.60 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए भुगतान किये जाने के कारण 1.25 घन मी0 (36.60 घन मी0–35.35 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹2100 प्रति घन मी0 की दर से ₹2625.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

19 **कार्य का नामः** सी0पी0आई0 सीट सफिंग व आर सी0सी0पलेट का निर्माण कार्य करना

संविदाकार :– श्री रणजीत सिंह

अनुबन्ध संख्याः– 555 दिनांक 23.11.09

उपरोक्त कार्य के तृतीय व अन्तिम बिल का भुगतान माप पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ 21 से 26 पर ₹183950 के लिए किया गया था। भुगतान की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताये पाई गई।

(क) उपरोक्त कार्य का आंबटन संविदाकार को दिनांक 23.11.09 को किया गया था कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह थी संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य दिनांक 23.7.2012 को समाप्त किया गया। संविदाकार द्वारा कार्य का समाप्त कार्य अवधि पूर्ण होने के लगभग 2 वर्ष के पश्चात किया गया। नगर पंचायत द्वारा कार्य बढ़ौतरी की स्वीकृति प्रदान किये बिना कार्य के अन्तिम बिल का भुगतान किया गया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विलम्ब से कार्य का निष्पादन करें पर पैनलटी नहीं लगाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) कार्य के अन्तिम बिल में निम्न मदों के अन्तर्गत किये गये कार्य के लिए भुगतान किया गया यह मदें अनुबन्ध में शामिल नहीं की गई थी। इन मदों के निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं दरों के अनुमोदन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्ततु नहीं किये गये। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं दरों के अनुमोदन के बिना कार्य मदों के अन्तर्गत किये गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं दरों का अनुमोदन करवाकर अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाये।

क्र0 सं0	**बिल की मद सं0**	**कार्य का संक्षिप्त विवरण**	**कार्य मात्रा**	**दर**	**राशि**	**मापन पुस्तिका का विवरण**
1	2	स्टोन शोपिंग प्रोपली हैण्ड पैकड़ इत्यादि (एच0पी0एस0आर0 1999 मद संख्या 2110020000)	30.78 घन मी0	550	16929	एम0बी0 8 पृष्ठ 23
2	4	प्रोवाईडिंग माईलड / टोर स्टील रिइनफोर्समैनट इत्यादि	1985–91 कि0ग्रा0	48.98	97270	एम0बी0 8 पृष्ठ 24

3	6	प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क विद स्टील पलेट इत्यादि	58.26 वर्ग मी0	130	7574	एम0बी0 पृष्ठ 25	8

20 ₹762.00 का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 14 दिनांक 19.7.2012 द्वारा ₹6834.00 का भुगतान श्री राम कृष्ण शर्मा को बिल संख्या शून्य, दिनांक 5.1.2012 के विरूद्ध 536 वर्ग फुट वाटरवोर्न रेत के लिए ₹12.75 प्रति वर्ग फुट की दर से ₹6834.00 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त बिल के विरूद्ध एम0ए0एस0 रजिस्टर पृष्ठ 43 पर 15.18 घन मी0 मात्रा प्राप्त दर्शाई गई थी। उपरोक्त रेते की सप्लाई हेतु प्राप्त निविदा के अनुसार श्री राम कृष्ण शर्मा की रेत की सप्लाई के लिए दर ₹400/–प्रति घन मी0 अनुमोदित की गई थी जिसके अनुसार श्री राम कृष्ण को उपरोक्त बिल के विरूद्ध ₹6072.00 (15.18 घन मी0 x₹400) का भुगतान किया जाना था। लेकिन श्री राम कृष्ण शर्मा को ₹6072.00 के स्थान पर ₹6834.00 का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप ₹762.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

21 **संविदाकार का नामः–** मै0 पटियाल इलैक्ट्रीकल वर्कस

अनुबन्ध संख्याः– 1004 दिनांक 29.10.2010

कार्य का नामः– बाथरूम एवं टायलैट का निर्माण कार्य करना

एस0एच0 प्रोवाईडिंग इलैक्ट्रीकल इनस्टालेशन इन बाथरूम एण्ड बाथरूम

वाउचर संख्या 9 दिनांक 21.4.2011 ₹78445.00

उपरोक्त कार्य के प्रथम व अन्तिम चलित बिल की जांच करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 9/ईआई0 द्वारा वर्णित कार्य वायरिंग फार पावर पलग विद 2x4 एम0एम0 स्कवेयर पी0बी0सी0 रजिस्टैन्स फलेम इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 20 मी0 का भुगतान माप पुस्तिका 7 पृष्ठ 59 पर ₹148 प्रति मी0 की दर से किया गया था उपरोक्त कार्यमात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां एम0बी0 7 पृष्ठ 55 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 10 मी0 के स्थान पर 20मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप 10 मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹148.00 प्रति मीटर की दर से ₹1480.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

22 वर्गीकृत खातावहियों को तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदो ंपर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कुछ मदों को छोड़कर शेष मदों के आय व व्यय का ब्यौरा रखने के लिए मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खातावहियां तैयार नहीं की गई थी। मदवार खातावहियों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय की कितनी मांग थी कितनी प्राप्त हुई तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि की वसूली शेष है। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में भी यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि विभिन्न शीर्षों में मदवार व्यय के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई तथा कितनी राशि भुगतान की जानी शेष है। अतः सुंझाव दिया जाता है कि प्रत्येक मद के लिए आय व व्यय की पृथक–पृथक खातावहियां तैयार की जाये तथा इनकी मांग प्राप्ति/व्यय शेष राशि की गणना सुनिश्चित की जाये ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना से बचा जा सके तथा प्रत्येक मद का सही लेखा तैयार हो सके। अतः कृत कार्रवाई की अनुपालना आगामी अंकेक्षण को भी दिखाई जाये।

23 बिजली व शराब उपकर के रूप में प्राप्त राशि के मिलान हेतु अपेक्षित अभिलेख तैयार न करनाः—

नगर पंचायत तलाई को बिजली विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में बिजली उपकर व शराब उपकर का भुगतान किया गया परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इन प्राप्तियों के मिलान हेतु कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था अर्थात निर्धारित दर पर कुल कितनी राशि देय थी कितनी प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष राशि कितनी प्राप्त की जानी थी इसका न तो कोई सूचना/विवरण उक्त विभागों से प्राप्त किया गया था और न ही ऐसा कोई अभिलेख नगर पंचायत द्वारा तैयार किया गया था। अपेक्षित अभिलेख के अभाव में बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्त राशियों के मिलान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार मिलान के बिना इन राशियो ंको सही मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके अपेक्षित अभिलेख/खातावहियां तैयार की जाये तथा बिजली उपकर व शराब

उपकर की कुल मांग, प्राप्ति व बकाया राशि का निर्धारण किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

24 स्टोर व स्टॉक वस्तुओं का स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

नियमानुसार सभी स्टोर व स्टॉक की वस्तुओ ंका वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अनुसार भी नगर पंचायत की चल व अचल सम्पती की सत्यापना 3 वर्षों में एक बार मैम्बर कमेटी के सदस्यों द्वारा की जानी अपेक्षित है बशर्ते कि मैम्बर इसके लिए दोबारा तैनात न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चल व अचल सम्पति का कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जो कि बहुत ही आपतिजनक है। अतः यह महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार स्टोर व स्टॉक वस्तुओं तथा चल व अचल सम्पति का रजिस्टर अभिलेख तैयार करवाकर चल व अचल सम्पति का आवश्यक प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाये तथा इसकी अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

25 लधु आपति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

26 निष्कर्षः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृश्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0(एच(2)सी(15) 5 (78)/84 खण्ड–1 दिनांक, 13.09.13 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. सचिव, नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेशित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेशित करना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट "क"　　　　　　　　**पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित**

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अनुपालना के सत्यापन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन फरवरी 95 से मार्च 1997 (विशेष रिपोर्ट)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96 तक

1	पैरा–8	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/93 तक

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 27.10.95 से 28.10.95

1	पैरा–5	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (क)	पूर्व में अंशतः निर्णीत
3	पैरा–13 (क, ख ,ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–14 (क, ख, ग)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2005

1	पैरा–6 (क, ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (2, 3, 4, 5, व 7)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत	(₹1821.00 की वसूली अपेक्षित है)
4	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत	(₹548 की वसूली अपेक्षित है)

5	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ग) (1 , 2, 3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (घ, ङ, च)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	(₹4196 की वसूली अपेक्षित है)
9	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	(₹400 की वसूली अपेक्षित है)
10	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
12	पैरा–8 (ञ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–8 (ड)	अनिर्णीत	
14	पैरा–8 (ण)	अनिर्णीत	
15	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत	
16	पैरा–8 (थ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–8 (द)	अनिर्णीत	
18	पैरा–8 (न)	अनिर्णीत	(₹42 की वसूली अपेक्षित है)
19	पैरा–8 (प)	अनिर्णीत	
20	पैरा–8 (ब)	अनिर्णीत	
21	पैरा–8 (भ)	अनिर्णीत	
22	पैरा–8 (म)	अनिर्णीत	
23	पैरा–8 (य)	अनिर्णीत	
24	पैरा–8 (ल)	अनिर्णीत	
25	पैरा–8 (व)	अनिर्णीत	
26	पैरा–8 (श)	अनिर्णीत	
27	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा–9 (ग) (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
29	पैरा–9 (घ) (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
30	पैरा–9 (ङ) (1, 2)	अनिर्णीत	
31	पैरा–9 (च) (1, 2)	अनिर्णीत	
32	पैरा–9 (छ) (1, 2)	अनिर्णीत	
33	पैरा–9 (ज) (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत	

34	पैरा–9 (झ)	अनिर्णीत
35	पैरा–9 (ञ)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (ट) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
37	पैरा–9 (ड)	अनिर्णीत
38	पैरा–9 (ढ)	अनिर्णीत
39	पैरा–9 (ण)	अनिर्णीत
40	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत
41	पैरा–9 (थ)	अनिर्णीत
42	पैरा–9 (द)	अनिर्णीत
43	पैरा–9 (ध) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
44	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
45	पैरा–10 (ख)	अंशतः निर्णीत
46	पैरा–10 (ग) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
47	पैरा–10 (घ)	अंशतः निर्णीत
48	पैरा–10 (ङ) (क)	अनिर्णीत
49	पैरा–10 (ङ) (ख)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (11) (1)	समाप्त
6	पैरा–7 (11) (2)	समाप्त (वांन्छित राशि की वसूली कर ली गई है)
7	पैरा–7 (11) (3)	समाप्त मद की वास्तविक दर ₹261.50 थी ₹146 दर फाऊडेशन फटिंग से सम्बन्धित थी

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा–3	समाप्त

2	पैरा–4 (2)	समाप्त
3	पैरा–4	समाप्त (अन्तर की राशि ₹2364/–को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अग्रनीत कर दिया गया है)
4	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (3)	समाप्त (नवीनतम स्थिति गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
7	पैरा–5 (4)	समाप्त
8	पैरा–5 (5)	समाप्त
9	पैरा–5 (6)	समाप्त
10	पैरा–6	समाप्त
11	पैरा–7 (1)	समाप्त
12	पैरा–7 (2)	समाप्त (₹848.00 की वसूली कर ली गई थी)
13	पैरा–7 (3)	समाप्त (₹190 की वसूली कर ली गई थी)
14	पैरा–7 (4)	समाप्त
15	पैरा–7 (5)	समाप्त
16	पैरा–8 (1)	समाप्त
17	पैरा–8 (2)	समाप्त (₹20 लाख माह 5/2013 में सावधि जमा में निवेश कर दिया है)
18	पैरा–9 (1)	समाप्त (₹117 की वसूली कर ली गई थी)
19	पैरा–9 (2)	समाप्त
20	पैरा–9 (3)	समाप्त (समीक्षा उपरान्त निपटारा किया गया)
21	पैरा–10 (1)	समाप्त
22	पैरा–10 (2)	समाप्त
23	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
24	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
25	पैरा–10 (5)	समाप्त